पत्रांक–5/वि.1–58/2004........1470......../
झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्च शिक्षा)

संकल्प

विषयः– **झारखण्ड राज्य म अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं भविष्य निधि की सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में।**

झारखण्ड राज्य में आठ (08) स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय में कार्यरत षिक्षकों एवं षिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंषन, ग्रेच्यूटी एवं भविष्य निधि (भविष्य निधि–पेंषन–सह–उपादन) की सुविधा अंगीभूत महाविद्यालयों की भांति निम्नलिखित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन स्वीकृत किया जाता हैः–

1. यह लाभ स्वीकृत पद पर विधिवत् रूप से नियुक्त तथा कार्यरत केवल वैसे षिक्षक एवं षिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुमान्य होगा, जिनके वेतनादि मद का घाटानुदान राज्य सरकार वहन करती है।
2. जो षिक्षक/षिक्षकेत्तर कर्मी इस संकल्प के निर्गत के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये होंगे, उनपर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
3. यह सुविधा उन्हीं षिक्षक एवं षिक्षकेत्तर कर्मियों को देय होगा, जो संकल्प निर्गत की तिथि को कार्यरत होंगे तथा उनको नियुक्ति वित्त सहित स्वीकृत पद पर विधिवत् रूप में की गई हो।
4. यह सुविधा 01.12.2004 के पूर्व नियुक्त षिक्षक/षिक्षकेत्तर कर्मियों पर ही लागू होगा, दिनांक–01.12.2004 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए राज्य सरकार की नई पेंषन योजना लागू होगा।
5. सी0पी0एफ0 योजना के अन्तर्गत इस योजना से अच्छादित षिक्षक एवं षिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा जमा की गई राषि सूद सहित इस योजना के लागू होने के साथ राषि संबंधित महाविद्यालयों से मंगवाकर राजकोष में जमा की जायेगी।
6. इस भविष्य निधि–पेंषन–सह–उपादान का लाभ संकल्प निर्गत तिथि से अनुमान्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से,

ह0/–
(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– **5/वि.1–58/2004.......1470............./** रॉची, दिनांक :....19.12.2012./

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, मंत्रालय कोषागार, रॉची/निदेषक, उच्च षिक्षा, झारखण्ड/लेखा शाखा, उच्च षिक्षा निदेषालय/सभी विष्वविद्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– **5 / वि.1–58 / 2004.......1470............. /** रॉची, दिनांक :....19.12.2012. / प्रतिलिपिः–

अधीक्षक / राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, झारखण्ड को झारखण्ड गजट में प्रकाषनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– **5 / वि.1–58 / 2004.......1470............. /** रॉची, दिनांक :....19.12.2012. /

प्रतिलिपिः– वित्तीय परामर्षी / कुलसचिव, सभी विष्वविद्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 2000(अंगीकृत) यथा संषोधित में निहित प्रावधानों के अधीन इस हेतु नये परिनियम के गठन हेतु आवष्यक कारवाई सुनिष्चित की जाय।

ह0 / –
(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव।